

पत्रांक-7/स्था0-04-01/2014 सा0प्र0...../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- न्यायिक पदाधिकारियों को एलएल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या-9842 दिनांक 06.10.2009 की कंडिका-3 के आलोक में श्री तेज कुमार प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पू0 चंपारण) को निम्नवत् उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में प्राप्त वेतन वृद्धि की राशि	तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की राशि/वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री तेज कुमार प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पू0 चंपारण)	28.08.2015 (अप0)	770	₹ 2310/- 01.07.2016

उपर्युक्त स्वीकृत राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी तथा इस राशि पर किसी प्रकार का कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-7/स्था0-04-01/2014 सा0प्र0...../पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी (पू0 चंपारण)/श्री तेज कुमार प्रसाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी-सह-अपर मुंसिफ, मोतिहारी (पू0 चंपारण) एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.8.17

सरकार के अवर सचिव।